दिसम्बर सत्र, 2025 के लिए हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

समिति की बैठक बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 को 03:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। उसमें निम्नलिखित उपस्थित थेः–

1.	श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2.	श्री नायब सिंह, मुख्य मंत्री	सदस्य
3.	श्री अनिल विज, ऊर्जा मंत्री	सदस्य
4.	श्री महिपाल ढ़ांडा, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्तोदया (एस.ई.डब्लयु.ए.) मंत्री	सदस्य
6.	श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
7.	श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.	सदस्य

विशेष आमंत्रितः

1. डॉ० कृष्ण लाल मिढ़ा, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती सावित्री जिंदल, एम.एल.ए

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक वीरवार, 18 दिसम्बर, 2025 को 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025 को विधान सभा की बैठक 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 5:00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2025 को विधान सभा की बैठक 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 18, 19 तथा 22 दिसम्बर, 2025 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

वीरवार, 18 दिसम्बर, 2025 (11:00 बजे प्रातः)	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. नियम–30 के निलंबन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। 4. शून्य काल। 5. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 6. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 7. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 8. विधायी कार्य।
शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025 (11:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। 4. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान। 5. विधायी कार्य।

शनिवार, 20 दिसम्बर, 2025	**छुट्टी**
रविवार, 21 दिसम्बर, 2025	**छुट्टी**
सोमवार, 22 दिसम्बर, 2025 (11:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 4. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज–पत्र। 6. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 7. विधायी कार्य। 8. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 17 दिसम्बर, 2025.

हरविन्द्र कल्याण,
अध्यक्ष।

******

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 17 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।